RNI No. MAHBIL /2009/31730

सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १२, अंक ९] बुधवार, मार्च ११, २०२६/फाल्गुन २०, शके १९४७ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक १३

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक **११ मार्च, २०२६** ई. को. पुरःस्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशित किया जाता है :–

L. A. BILL No. XII OF 2026.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932, IN ITS APPLICATION TO THE STATE OF MAHARASHTRA.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक १२ सन् २०२६।

महाराष्ट्र राज्य में उसकी प्रयुक्ति करने में भारतीय भागीदारी अधिनियम, १९३२ में अधिकतर संशोधन करने संबंधि विधेयक।

सन् १९३२ का ९। **क्योंकि** इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र राज्य में उसकी प्रयुक्ति करने के लिए भारतीय भागीदारी अधिनियम, १९३२ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

१. (१) यह अधिनियम भारतीय भागीदारी (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, २०२६ कहलाए। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण।

(२) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नियत कर सके।

सन् १९३२ का ९ की धारा ५८ में संशोधन। **२.** महाराष्ट्र राज्य में उसकी प्रयुक्ति में भारतीय भागीदारी अधिनियम, १९३२ (जिसे इसमें आगे, "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा ५८ की,– सन् १९३२ का ९।

(१) उप-धारा (१) के स्थान में, निम्न उप-धारा रखी जायेगी, अर्थात्:–

"(१) उप-धारा (१क) के उपबंधों के अध्यधीन फर्म का रजिस्ट्रीकरण, जिसमें फर्म के कारोबार की कोई जगह स्थित है या जगह स्थित किया जाना प्रस्तावित है, के क्षेत्र के रजिस्ट्रार की कार्यालयीन वेबसाईट पर विहित प्ररूप में ऑनलाईन भुगतान की गई फीस की विहित अदायगी पर विहित प्ररूप में ऑनलाईन विवरणी और निम्न कथन की भागीदारी विलेख की प्रतिलिपि के ऑनलाईन आवेदन करने पर प्रभावित होगा ;

(क) फर्म का नाम, स्थायी लेखा क्रमांक (पॅन) और फर्म का इ-मेल पता ;

(ख) फर्म के कारोबार का स्वरूप ;

(ग) फर्म के कारोबार का स्थान या प्रमुख स्थान ;

(घ) किसी अन्य स्थानों के नाम जहाँ फर्म कारोबार चलाता है ;

(ड़) वह दिनांक जब प्रत्येक भागीदार फर्म में शामिल हुआ है ;

(च) सभी भागीदारों का पूरा नाम, स्थायी पता, इ-मेल पता और मोबाईल क्रमांक ;

(घ) फर्म का कालावधी।

विवरणी सभी भागीदारों द्वारा या इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत किए गए उनके अभिकर्ताओं द्वारा डिजिटली हस्ताक्षरित की जायेगी।" ;

(२) उप-धारा (२) के स्थान में, निम्न उप-धारा रखी जायेगी, अर्थात्:–

"(२) आवेदक द्वारा, भागीदारों की डिजीटल हस्ताक्षरित विवरणी की कार्यालयिन वेबसाईट पर जानकारी भी डाली जायेगी, उप-धारा (१) में उल्लिखित ऑनलाईन प्ररुप में अभिलिखित विवरणी को सत्यापित किया जाएगा, आवश्यक संलग्न पत्र भी कार्यालयिन वेबसाईट पर डाले जायेंगे। "।

सन् १९३२ का ९ की धारा ५९ में संशोधन। **३.** मूल अधिनियम की धारा ५९ की, उप-धारा (१) में, "वह" शब्द के पश्चात्, " डिजीटली रूप से करेगा" शब्द निविष्ट किए जायेंगे।

सन् १९३२ का ९ की धारा ६७ में संशोधन। **४.** मूल अधिनियम की धारा ६७ में "प्रती" शब्द के पश्चात् " ऑफलाईन या ऑनलाईन" शब्द निविष्ट किए जायेंगे।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य

भारतीय भागीदारी अधिनियम, १९३२ (सन १९३२ का ९) की धारा ५८, विहित प्ररूप में फर्म के रजिस्ट्रीकरण करने की प्रक्रिया, फर्म के रजिस्ट्रार के विवरणी का पुस्तकीकरण करने की प्रक्रिया के लिए उपबंध करता है। तथापि, विद्यमान उपबंध फर्म को भागीदारी के रजिस्ट्रीकरण की ऑनलाईन प्रक्रिया के लिए उपबंध नहीं करता है।

२. कारोबार चलाने में सुकरता लाने की दृष्टि से भागीदारी फर्म का, जिसमें फीस की अदायगी सभी भागीदारों का डिजीटल रूप से हस्ताक्षरित विवरण, सभी दस्तावेजों की ऑनलाईन प्रस्तुतीकरण समेत ऑनलाईन रजिस्ट्रीकरण करने के लिए उपबंध करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। यह भागीदारी फर्म का रजिस्ट्रीकरण करते समय प्रशासकीय कुशलता, पारदर्शिता और शीघ्र संसूचना सुधारणे में मदद करेगा।

३. इसलिए, सरकार, महाराष्ट्र राज्य में उसकी प्रयुक्ति में भारतीय भागीदारी अधिनियम, १९३२ की धारा ५८, ५९ और ६७ में यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझती है।

४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,
दिनांकित ९ मार्च, २०२६।

देवेंद्र फडणवीस,
मुख्यमंत्री ।

(यथार्थ अनुवाद),
श्री. अरूण कमळाबाई वाळू गिते,
प्रभारी भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन,
मुंबई,
दिनांकित ११ मार्च, २०२६।

जितेंद्र भोळे,
सचिव-१,
महाराष्ट्र विधानसभा।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.